





फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 घासू \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_ बंडू  
 क्रम मुकदमा \_\_\_\_\_ नं. 21 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
	<p>23/9/2025                      पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <del>मौजा रिपोर्ट</del> दिनांक 14/10/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> आज्ञा से रीडर</p>	
<p>14/10/2025</p>	<p><del>पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <del>मौजा रिपोर्ट</del> दिनांक 25/11/2025 को पेश हो।</del></p>	
	<p>25/11/2025                      पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <del>मौजा रिपोर्ट</del> दिनांक 16/12/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> आज्ञा से रीडर</p>	<p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर (सुपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p>
<p>16/12/2025</p>	<p><del>पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <del>मौजा रिपोर्ट</del> दिनांक 25/11/2025 को पेश हो।</del></p> <p>बार-बार आवक जमातें                      गरीब वर्ग की। तदनुसार कपासन से मौजा रिपोर्ट                      के रूप में रिपोर्ट पेश <del>रिपोर्ट</del> की। पीओ साहब                      नहीं रिपोर्ट करने से पत्रावली कहल हए।                      अहम वैरती में ब्याज नहीं पाती है। पत्रावली केवल                      श्रमक होकर नष्ट हो गयी। आदरणीय कृपया अया।</p>	<p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर (सुपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p>